टिप्पणी

5

भारतीय संविधान की प्रस्तावना तथा मुख्य विशेषताएँ

भारतीय संविधान की रचना एक संविधान सभा द्वारा हुई। यह सभा एक अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संस्था थी। इस सभा ने भारतीय संविधान में शामिल किए जाने हेतु कुछ आदर्श सुनिश्चित किए। ये आदर्श थे– लोकतंत्र के प्रति कटिबद्धता, सभी भारतवासियों के लिए न्याय, समानता तथा स्वतंत्रता की गारंटी। इस सभा के द्वारा यह भी घोषणा की गई कि भारत एक प्रभुसत्ता सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। भारतीय संविधान का प्रारम्भ एक प्रस्तावना के साथ होता है। प्रस्तावना के अंतर्गत संविधान के आदर्श, उद्देश्य तथा मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख है। प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्यों से ही प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में संविधान की मुख्य विशेषताओं का विकास हुआ है। इस पाठ में आप संविधान की प्रस्तावना के रूप में निहित राजनीतिक दर्शन तथा संविधान की मुख्य विशेषताओं को जान सकेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप:

- देश के मौलिक कानून के रूप में संविधान के महत्व को पहचान सकेंगे;
- संविधान सभा की रचना, इसमें प्रारूप समिति की भूमिका और संविधान सभा के उद्देश्यों का वर्णन कर सकेंगे;
- संविधान की प्रस्तावना तथा उसकी प्रासंगिकता का वर्णन कर सकेंगे;
- लिखित तथा अलिखित और कठोर तथा लचीले संविधान के बीच अंतर स्पष्ट कर सकेंगे;
- भारतीय संविधान की प्रकृति का विश्लेषण कर सकेंगे;
- मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्व को बता सकेंगे;
- भारतीय संविधान की उन विशेषताओं को पहचान सकेंगे, जो इसे संसार के दूसरे संविधानों से अलग करती हैं;
- प्रस्तावना के मूल सिद्धांतों की पहचान तथा संविधान में दिए प्रावधानों पर उनका प्रभाव समझ सकेंगे; तथा
- भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं को पहचान सकेंगे।

आधुनिक राज्य को कल्याणकारी राज्य के रूप में देखा जाता है। अत: सुझाव दिया जाता है कि ऐसे राज्य की सरकार का एक निश्चित रूप हो जिसमें उसे स्पष्ट सत्ता एवं कार्य सौंपे गए हों। जिस प्रलेख में कानूनों व विधियों का उल्लेख हो, सरकार के प्रकार का वर्णन हो तथा सरकार और नागरिकों के संबंधों का विवरण मिलता हो, उसे संविधान कहा जाता है।

इस प्रकार एक संविधान का सरोकार दो बातों से होता है- एक तो सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच परस्पर संबंध, तथा दूसरा-सरकार तथा नागरिकों के बीच संबंध। संविधान को राज्य का आधारभूत मौलिक कानून माना जाता है। यह राज्य के उद्देश्यों को निर्धारित करता है, जिन्हें इसको प्राप्त करना है। संविधान सरकार के विभिन्न स्तरों को संस्थागत संरचना भी प्रदान करता है। इसमें नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। अत: इसे देश का शासन चलाने का आधार भी माना जाता है।

5.2 संविधान सभा

भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया है। इस सभा का गठन 1946 में हुआ। संविधान सभा के सदस्य तत्कालीन प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। इसके अतिरिक्त ऐसे सदस्य भी थे जो रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत किए गए थे। भारत की आज़ादी के साथ ही संविधान सभा एक पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न संस्था बन गई। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 को 299 सदस्य थे। इनमें से 229 सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधान सभाओं ने किया था तथा शेष देशी रियासतों के शासकों ने मनोनीत किए थे। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। स्वतंत्रता आंदोलन सभी प्रमुख नेता के सदस्य सभा के सदस्य थे।

देशी रियासतें: ब्रिटिश शासन के समय भारत के कुछ भाग सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में नहीं थे। ऐसे लगभग 560 क्षेत्र थे। भारतीय रियासतें देशी शासकों के अधीन थीं। कश्मीर, हैदराबाद, पटियाला, ट्रावनकोर, मैसूर, बड़ौदा, आदि बड़ी देशी रियासतें थीं।

5.2.1 संविधान सभा की कार्य प्रणाली

संविधान सभा की अध्यक्षता सभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती थी। डा. राजेन्द्र प्रसाद इस संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। सभा अनेकों समितियों तथा उपसमितियों की मदद से कार्य करती थी। ये समितियाँ दो प्रकार की थीं: (क) कार्यविधि संबंधी (ख) महत्वपूर्ण मुद्दों संबंधी। इसके अतिरिक्त एक परामर्श समिति भी थी। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष डा. भीम राव अम्बेडकर थे। इस समिति का कार्य संविधान को लेखबद्ध करना था। संविधान सभा की बैठकें 2 वर्ष 11 महिने तथा 18 दिन के अंतराल में 166 बार हुई।

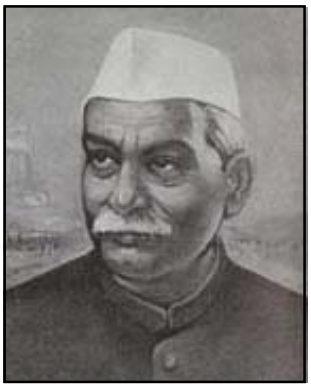

डा. राजेन्द्र प्रसाद, सभापति, संविधान सभा

डा. भीमराव अम्बेडकर, अध्यक्ष, प्रारूप समिति

संविधान सभा के नेता उस समय की आवश्यकताओं जैसे विभिन्न मुद्दों एवं सिद्धान्तों पर आम सहमति

के प्रति सचेत थे। इसके परिणामस्वरूप कोई भी निर्णय लेते समय लोगों की आकांक्षाओं की सभा के सदस्य विशेष ध्यान रखते थे। अत: आम सहमति बनाने हेतु बार-बार प्रयास किए गए। सभा के सदस्यों के मन में किसी भी निर्णय तक पहुँचने से पहले लोगों की महत्वाकांक्षाओं का बहुत महत्व था।

पाठगत प्रश्न 5.1

सही उत्तर के सामने (✓) का निशान लगाइए:

(क) किसी देश का संविधान आधार प्रदान करता है

(अ) अपराधियों को दंड देने का

(ब) देश के प्रशासन का

(स) नागरिकों के बीच संबंधों का

(द) दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंधों का

(ख) भारत की संविधान सभा में शामिल थे

(अ) ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य

(ब) राजनीतिक दलों द्वारा मनोनीत सदस्य

(स) प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा देशी रियासतों के मनोनीत सदस्य

(द) जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य

(ग) भारत का संविधान लिखा गया था

(अ) परामर्शदात्री समिति द्वारा

(ब) सभा के सचिवालय द्वारा

(स) सभा के अध्यक्ष द्वारा

(द) प्रारूप समिति द्वारा

5.3 संविधान के उद्देश्य

संविधान सभा, लगभग 200 वर्षों के औपनिवेशिक शासन, जन-आधारित स्वतंत्रता संघर्ष, राष्ट्रीय आंदोलन, देश के विभाजन, व राष्ट्र-व्यापी सांप्रदायिक हिंसा की पृष्ठभूमि में स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण कर रही थी। इसलिए संविधान निर्माता, जन आकांक्षाओं की पूर्ति, देश की एकता व अखण्डता तथा लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के प्रति सचेत थे। सभा के अंदर भी विभिन्न विचारधाराओं को मानने वाले सदस्य थे। कुछ सदस्यों का झुकाव समाजवादी सिद्धांतों के प्रति था जबकि अन्य गांधीवादी दर्शन से प्रभावित थे। परंतु अधिकांश सदस्यों का दृष्टिकोण उदार था। आम सहमति बनाने के प्रयास होते रहते थे

ताकि संविधान बनने की प्रगति में बाधा न आए। उनका मुख्य लक्ष्य था भारत को एक ऐसा संविधान देना जो देश के लोगों के आदर्शों एवं विचारों को पूरा कर सके।

विभिन्न मुद्दों तथा सिद्धांतों के प्रति आम सहमति बनाने तथा असहमति से बचने के भरपूर प्रयास संविधान सभा में किए गए। यह आम सहमति दिसम्बर 3, 1946 को 'उद्देश्य प्रस्ताव' के रूप में पं. नेहरु द्वारा प्रस्तुत की गई तथा जनवरी 22, 1947 को लगभग सर्वसम्मति से अपनाई गई। इन उद्देश्यों के आधार पर सभा ने 26 नवम्बर 1949 को अपना कार्य पूरा किया तथा 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू किया गया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसम्बर, 1929 को लिए गए निर्णय के आधार पर 26 जनवरी, 1930 को मनाए गए प्रथम स्वाधीनता दिवस के ठीक 20 वर्ष बाद, 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना। **अतः 26 जनवरी, 1950 की तिथि को ही संविधान के लागू होने की तिथि के रूप में निश्चित किया गया।**

डा. राजेन्द्र प्रसाद नए संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए

5.4 प्रस्तावना

जैसा कि आप जानते है भारतीय संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ हुई है। आइए जानें कि प्रस्तावना किसे कहते हैं। प्रस्तावना किसी पुस्तक की भूमिका के समान ही है। भूमिका के रूप में प्रस्तावना संविधान के उपबंधों का भाग नहीं है, परंतु यह संविधान निर्माण के उद्देश्यों व लक्ष्यों की व्याख्या करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी इसी रूप में है। इस प्रकार से प्रस्तावना संविधान की मार्गदर्शिका होती है।

टिप्पणी

भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है।

भारत के संविधान की प्रस्तावना

''हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्वसम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:
सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय; विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. को एतद् इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं।

प्रस्तावना, संक्षेप में, संविधान के लक्ष्यों की दो प्रकार से व्याख्या करती है, एक प्रशासन की संरचना के बारे में तथा दूसरा स्वतंत्र भारत द्वारा प्राप्त किए जाने वाले आदर्शों के विषय में। यही कारण है कि संविधान को समझने के लिए प्रस्तावना को कुंजी माना जाता है। प्रस्तावना में वर्णित लक्ष्य इस प्रकार हैं:

(i) भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में

(समाजवादी, पंथनिरपेक्ष; 1976 के 42वें संशोधन के बाद जोड़ा गया)

(ii) सभी भारतीय नागरिकों के लिए प्रावधान है

(क) न्याय: सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक

(ख) स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था व उपासना की

(ग) समानता: प्रतिष्ठा तथा अवसर की

(घ) बन्धुत्व: व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता के रुप में।

आइए, इन उद्देश्यों को विस्तार से जानें कि ये संविधान में कैसे परिलक्षित हुए हैं।

5.5 संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य

संप्रभुता

संप्रभुता किसी स्वतंत्र राज्य का एक अत्यंत अनिवार्य तत्व है। इसका अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता होता है- बिना किसी आतंरिक व बाहरी दवाब, प्रभाव अथवा हस्तक्षेप के राज्य की निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता। भारत अपनी विदेश नीति स्वतंत्रता पूर्वक बना सकता है। एक देश संप्रभुता के बिना अपना संविधान नहीं बना सकता।

समाजवादी

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' शब्द प्रारंभ में नहीं था। 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा 'समाजवादी' एवं 'पंथनिरपेक्ष' शब्दों को संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया। समाजवाद शब्द का प्रयोग आर्थिक नियोजन के संदर्भ में हुआ है। इसका अभिप्राय है कि असमानताओं का निराकरण करने, सब लोगों

की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने, समान कार्य के लिए समान वेतन देने जैसे आदर्शों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्धता से है। ये सभी लक्ष्य नीति-निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत दिए गए हैं जिन्हें आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे तथा जानेंगे कि ये संविधान में कैसे सम्मिलित तथा लागू किए गए हैं।

पंथनिरपेक्षता

भारत में पंथनिरपेक्षता के संदर्भ में कहा गया है कि 'भारत न तो धार्मिक है, न अधार्मिक है और न ही धर्म के खिलाफ है'। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा तथा राज्य सार्वजनिक धन द्वारा किसी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगा। इसके दो पहलू हैं: प्रथम, प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म में विश्वास करने व पालन करने को स्वतंत्र है; द्वितीय, राज्य किसी व्यक्ति या समुदाय में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

लोकतांत्रिक गणराज्य

संविधान के प्रस्तावना को पढ़ते समय आपने देखा कि संविधान भारत की जनता में निहित है। प्रस्तावना की अंतिम पंक्ति में लिखा गया है कि ''..... इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं''। वास्तव में प्रस्तावना की इस पंक्ति से ही देश के प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का विकास होता है। लोकतंत्र का अर्थ आमतौर पर देश के जनता की, जनता के द्वारा व जनता के लिए सरकार का गठन माना जाता है। इसका अर्थ है कि सरकार जनता द्वारा निर्वाचित तथा जनता के प्रति उत्तरदायी है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, चुनाव, मौलिक अधिकार, जवाबदेह सरकार जैसे प्रावधानों के माध्यम से लोकतांत्रिक सिद्धांत व्यावहारिक होते हैं। आप अगले अध्यायों में इनके बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तावना में भारत को 'गणराज्य' कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति है जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है तथा ब्रिटेन के राजप्रमुख के समान वह आनुवंशिक आधार पर नहीं है। आप संघीय कार्यपालिका पाठ में राष्ट्रपति के चुनाव, आदि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।

पाठगत प्रश्न 5.2

(क) भारत में पंथनिरपेक्ष का अर्थ ..... है।

(धर्म का बहिष्कार/सब धर्मों का सम्मान/ मात्र अपने धर्म का सम्मान)

(ख) भारत में समाजवाद का अर्थ ..... है।

(सभी उद्योगों पर सरकारी स्वामित्व/ राज्य की अर्थ व्यवस्था में प्रमुख भूमिका/धन का समान वितरण)

(ग) भारत ..... को गणतंत्र बन गया।

(15 अगस्त 1947, 26 नवम्बर 1949, 26 जनवरी 1950)

5.6 न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता

स्वतंत्रता का संघर्ष केवल ब्रिटिश शासकों से मुक्ति के लिए ही नहीं था, बल्कि एक ऐसे युग के सूत्रपात के लिए था, जिसमें स्त्री-पुरुष की गरिमा की सुरक्षा, निर्धनता का उन्मूलन व सभी प्रकार के शोषण की समाप्ति हो। इसीलिए लक्ष्यपूर्ति प्रस्ताव व प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं ने सभी भारतीय नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता के प्रावधानों की घोषणा चिरप्रतीक्षित आदर्शों के रूप में की।

न्याय

न्याय लोगों को आधारभूत सुविधाएं जैसे भोजन, वस्त्र तथा आवास प्रदान करने के साथ-साथ उनको निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाता है तथा उन्हें गरिमायुक्त जीवन बिताने के अवसर, आर्थिक व राजनीतिक न्याय एवं प्रतिनिधि प्रजातंत्र के रूप में प्रदान करता है। सामाजिक आर्थिक न्याय आप अगले पाठ में पढ़ेंगे।

स्वतंत्रता

प्रस्तावना में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी उल्लेख किया गया है। संविधान में इस प्रकार की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकारों के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। जरूरतों की स्वतंत्रता की गारंटी मौलिक अधिकारों में नहीं है, परंतु इस बारे में निर्देशित सिद्धांतों में राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं।

समानता

समानता को आधुनिक लोकतांत्रिक विचारधारा का सारतत्व माना जाता है। संविधान निर्माताओं ने समानता के आदर्श को अस्मिता के रूप में प्रस्तावना में शामिल किया है। असमानता के सभी प्रकार चाहे वह शासक तथा शासित के आधार पर हों या जाति तथा लिंग के आधार पर हों, दूर किए जाने चाहिए। भारत के सभी नागरिकों को सामान व्यवहार करना चाहिए तथा कानून का समान संरक्षण मिलना चाहिए। जाति, वंश, जन्म, धर्म, लिंग, आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसी तरह, अवसर की समानता का अर्थ है प्रत्येक स्त्री-पुरुष को अपने जन्म की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बावजूद अपनी प्रतिभा के विकास के लिए व व्यवसाय को अपनाने के समान अवसर उपलब्ध होंगे।

पाठगत प्रश्न 5.3

रिक्त स्थानों को भरिए:

(क) न्याय का अर्थ है जनता को वह प्रदान करना ..... (जिसकी वह हकदार है/जो उनको अधिकार है। जो वह चाहती है।)

(ख) भारत का संविधान ..... की गारंटी देता है। (विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता/इच्छाओं से मुक्ति)

5.7 गरिमा, बंधुत्व, एकता एवं अखंडता

भारत की बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक व बहुधार्मिक समाज की पृष्ठभूमि तथा देश के विभाजन को ध्यान में

रखते हुए संविधान निर्माता, नव-स्वतंत्र राष्ट्र की एकता व अखण्डता के प्रति अत्यधिक चिंतित थे।

विभिन्न धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक व आर्थिक समूहों में समरसतापूर्ण सह-अस्तित्व के लिए इसी एकता व अखंडता की आवश्यकता थी। इसी आवश्यकता के कारण प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा, जनता में बंधुत्व का भाव तथा राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता को स्थान दिया गया है।

> ***समतावादी:*** एक ऐसा समाज जो अपने सभी सदस्यों की आवश्यकताओं के बारे में जागरूक हो, उसे समतावादी कहते हैं। समतावादी राज्य से आशा की जाती है कि वह अपने नागरिकों के बीच असमानताओं को कम करेगा तथा सभी की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
> प्रस्तावना में एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाया गया है जो लोकतांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष है, इसीलिए समतावादी है। इसीलिए प्रस्तावना को संविधान का एक हिस्सा नहीं होने के बावजूद भी, न्यायालय, संविधान की व्याख्या करते समय प्रस्तावना को विशेष आदर देते हैं।

5.8 संविधान की मुख्य विशेषताएँ

अभी तक आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ा। अगले अनुच्छेद में आप भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रस्तावना से संबंधित हैं तथा संविधान में उल्लिखित आदर्शों एवं उद्देश्यों के प्रति निर्माताओं के विश्वास को दर्शाते हैं।

लिखित संविधान

भारतीय संविधान मुख्य रूप सें एक लिखित संविधान है। एक लिखित संविधान निश्चित समय सीमा के अंतर्गत लिखा जाता है तथा एक दस्तावेज के रूप में किसी सुनिश्चित तारीख को अपनाया जाता है। **संविधान तैयार करने में दो वर्ष, 11 मास, 18 दिन का समय लगा। इसे 26 नवम्बर 1949 को अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया।** इसके विपरीत अलिखित संविधान क्रमिक विकास का परिणाम होता है। यह सदियों तक विकसित रीति-रिवाजों, परंपराओं एवं कानूनों पर आधारित होता है। ब्रिटेन का संविधान विकसित तथा अलिखित संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण है। भारत के संदर्भ में, योजना आयोग का उल्लेख किया जा सकता है। देश के नियोजन तथा विकास से संबंधित यह अत्यधिक महत्वपूर्ण संस्था है। योजना आयोग मार्च 1950 में स्थापित हुआ, जो न तो संसद के किसी कानून द्वारा हुआ है और न ही संविधान के किसी हिस्से में वर्णित है। यह मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित हुआ है। विश्व में सबसे अधिक वृहद् संविधान भारत का संविधान है। **भारत के प्रारम्भिक संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं।**

पाठगत प्रश्न 5.4

रिक्त स्थान भरिए:

(क) संविधान ..... का संग्रह होता है।

(नियमों, आधारभूत कानूनों, सिद्धांतों)

(ख) भारत का संविधान ..... को लागू किया गया था।

(15 अगस्त 1947, 26 नवम्बर 1949, 26 जनवरी 1950)

कठोर एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण

भारतीय संविधान कठोरता व लचीलेपन के सम्मिश्रण का अनूठा उदाहरण है। संशोधन प्रक्रिया के आधार पर एक संविधान को कठोर अथवा लचीला कहा जाता है। कठोर संविधान को आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीटजरलैंड तथा आस्ट्रेलिया के संविधान कठोर संविधानों की श्रेणी में आते हैं, जबकि ब्रिटेन का संविधान लचीला है क्योंकि उसकी संशोधन प्रक्रिया आसान एवं साधारण है। भारत के संविधान में संशोधन की तीन विधियां दी गई हैं। पहली विधि के अनुसार संशोधन साधारण बहुमत द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से संशोधन किया जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। दूसरी विधि में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। यह संशोधन सदन के दोनों सदनों के कुल सदस्यों तथा प्रत्येक सदन के दो-तिहाई उपस्थित सदस्यों के मतदान के द्वारा पारित किया जाता है। तीसरी विधि में, विशेष बहुमत, जो दूसरी विधि में लिखा है, के अलावा 50 प्रतिशत राज्यों के विधानसभाओं द्वारा भी पारित होना आवश्यक होता है। इसलिए आपने देखा कि भारतीय संविधान के संशोधन में साधारण से लेकर कठोर प्रक्रिया को भी संशोधन की प्रकृति के अनुसार अपनाया जाता है।

संघात्मक राज्य व्यवस्था

भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संघीय व्यवस्था में दो स्पष्ट स्तरों पर सरकारें होती हैं। पूरे देश की एक सरकार होती है जिसे संघ अथवा केंद्रीय सरकार कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक इकाई अथवा राज्य की भी एक सरकार होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक सरकार है जबकि इंग्लैड में एकात्मक सरकार की व्यवस्था है। एकात्मक प्रणाली में संपूर्ण देश की एक सरकार होती है जिसमें शक्ति केंद्रित होती है। भारतीय संविधान में संघीय राज्य का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें राज्यों की सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। भारत में संघीय सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची के नाम से तीन सूचियां हैं। आठवें भाग में इन सूचियों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इस विभाजन के आधार पर भारत को संघीय व्यवस्था कहा जा सकता है। यद्यपि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र सरकार को अधिक प्रशासनिक, वैधानिक, वित्तीय तथा न्यायपालिका संबंधित शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारत में कतिपय एकात्मक तत्व भी मौजूद हैं। इसलिए कहा जाता है कि भारत एक अर्द्धसंघात्मक संरचना वाला देश है।

अर्द्धसंघात्मक- इसका यह अर्थ है कि दो स्पष्ट सरकार-केन्द्रीय तथा राज्यों की सरकारें होने के बावजूद, केन्द्र सरकार को अधिक शक्ति प्रदान की गई है।

न्यायपालिका की सर्वोच्चता भी संघ-शासन की अनिवार्य विशेषता होती है जिससे संविधान की व्याख्या निष्पक्षता से हो सके। भारत में संविधान की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया है।

संसदीय लोकतंत्र

भारत में संसदीय लोकतंत्र का प्रावधान है। इसे ब्रिटिश शासन व्यवस्था से अपनाया गया है। संसदीय लोकतंत्र में विधानमंडल तथा कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। मंत्रिमण्डल का चयन विधानमण्डल से होता है और मंत्रिमण्डल विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। इसीलिए मंत्रिमण्डल के सदस्य विधानमंडल का विश्वास प्राप्त रहने तक ही पदासीन रहते हैं। संवैधानिक तौर पर अध्यक्ष नाममात्र का अध्यक्ष होता है। भारत में राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक तौर पर उसको बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त हैं, परंतु वास्तव में वह इनका प्रयोग नहीं करता। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ही इन शक्तियों का प्रयोग करती है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करता है।

5.9 मौलिक अधिकार एवं कर्त्तव्य

प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित अधिकार दिए गए हैं जिससे वह एक अच्छी जिंदगी जी सके। लोकतंत्र में सभी नागरिक बराबर अधिकार रखते हैं। भारत का संविधान इन अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में प्रदान करता है।

मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। संविधान में छह मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिसे आप अगले पाठ में विस्तार से पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार न्याययोग्य तथा न्यायालय द्वारा सुरक्षित होते हैं। इन अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में हम न्यायालय में जा सकते हैं।

42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। इसमें सभी नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची दी गई है। अधिकार राज्य द्वारा व्यक्तियों को दी हुई सुविधाएं हैं तथा कर्तव्य नागरिकों द्वारा पूरे किए जाने वाले उत्तरदायित्व हैं।

पाठगत प्रश्न 5.5

रिक्त स्थान भरिए:

(क) भारत एक ..... राज्य है।

(एकात्मक, संघात्मक, अर्द्धसंघीय)

(ख) संसदात्मक लोकतंत्र में असली सत्ता ..... के पास होती है।

(जनता, राष्ट्रपति, मंत्रिमण्डल)

(ग) मौलिक अधिकार ..... हैं।

(संपूर्ण, न्याययोग्य, असीमित)

(घ) मौलिक कर्तव्यों को ..... संशोधन के द्वारा शामिल किया गया।

(42वें, 44वें, 46वें)

5.10 राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत

राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान की अनूठी विशेषता है। ये सिद्धांत हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल किया गया है। राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य स्थापित करने से है, जहाँ समूचा धन कुछ ही लोगों के हाथों में इकट्ठा न हो सकेगा। आप अगले पाठ में विस्तार से नीति-निर्देशक सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे।

एकीकृत न्याय प्रणाली

भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली है। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि अदालत है। इसके अधीन उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों की देखरेख तथा उन पर नियंत्रण रखता है। इस प्रकार भारतीय न्यायपालिका, एक पिरामिड की तरह है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय आधार पर स्थित है, उच्च न्यायालय मध्य में तथा सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर स्थित है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता

भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है। कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के प्रभाव से भारतीय न्यायपालिका, बिल्कुल स्वतंत्र है। न्यायाधीशों की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर होती है तथा उन्हें आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। आप न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में विस्तार से 12वें अध्याय में पढ़ेंगे।

इकहरी नागरिकता

संघीय राज्यों में, आमतौर से नागरिक दोहरी नागरिकता का लाभ उठाते हैं, जैसा कि अमेरिका में है। भारत में केवल इकहरी नागरिकता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है चाहे वह किसी भी स्थान पर निवास करता हो या किसी भी स्थान पर उसका जन्म हुआ हो। वह राज्य जैसे-झारखण्ड, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़ का नागरिक नहीं हो सकता, जहाँ से वह संबंधित है। वह किसी भी राज्य का हो, परंतु वह भारत का ही नागरिक कहलाएगा। भारत के सभी नागरिकों को देश में कहीं भी नौकरी करने का अधिकार है तथा वह सभी अधिकारों को भारत के किसी भी हिस्से में उपभोग कर सकता है।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

'एक व्यक्ति एक वोट' के आधार पर भारतीय लोकतंत्र कार्य करता है। भारत का 18 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक नागरिक जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति या संपति के आधार पर बिना किसी भेदभाव के, मताधिकार का अधिकार रखता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा भारतीय संविधान राजनीतिक समानता प्रदान करता है।

आपातकाल की व्यवस्था

संविधान निर्माताओं ने यह पूर्वानुमान लगाया था कि कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब सरकार सामान्य रूप से कार्य नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में कार्य करने के लिए संविधान में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। आपातकाल के तीन प्रकार हैं (क) युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण अथवा देश के अंतर्गत सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल की स्थिति (ख) राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल, तथा (ग) वित्तीय संकट के कारण आपातकाल। आपातकालीन प्रावधान के बारे में आप अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे।

पाठगत प्रश्न 5.6

रिक्त स्थान भरिए

(क) संयुक्त राज्य अमेरिका में ..... नागरिकता है। (इकहरी, दोहरी, अस्थायी)

(ख) इकहरी नागरिकता का अर्थ है .....

(एक व्यक्ति केवल अपने राज्य का नागरिक है / एक व्यक्ति पूरे देश का नागरिक है / एक व्यक्ति अपने जन्म स्थान का नागरिक है।)

(ग) भारत में मतदान के लिए न्यूनतम उम्र है ..... ।

(18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष)

(घ) संविधान में दिए गए आपातकालीन प्रावधानों को ..... लगाया जा सकता है।

(साधारण समय में, असाधारण समय में, किसी भी समय में)

आपने क्या सीखा

संविधान किसी देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है। देश के प्रशासन की रूपरेखा व संरचना संविधान द्वारा प्रदान की जाती है। भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया। संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप को तैयार करते समय भारत की जनता की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का विशेष ध्यान रखा।

26 नवम्बर 1949 को संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा ने पूरा कर लिया तथा नया संविधान औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। यह संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। भारत का संविधान प्रस्तावना से शुरू होता है जो घोषणा करता है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य है। प्रस्तावना में भारतीय समाज के लिए निर्धारित लक्ष्यों का वर्णन मिलता है जैसे न्याय की प्राप्ति, सब नागरिकों के लिए स्वतंत्रता व समानता तथा जनता के बीच भ्रातृभाव के द्वारा राष्ट्रीय एकता व अखंडता को प्रोत्साहन देना और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना।

भारतीय संविधान की अनेकों मुख्य विशेषताएँ हैं। भारतीय संविधान विश्व में सबसे विस्तृत संविधान है तथा इसमें कठोरता और लचीलापन का मिश्रण है। अर्द्धसंघीय व्यवस्था के साथ-साथ एक शक्तिशाली केन्द्र सरकार का प्रावधान हमारे संविधान में है। संविधान सर्वोच्च है। केन्द्र और राज्यों के बीच शक्ति का स्पष्ट विभाजन है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि न्यायालय है, जो केन्द्र तथा राज्य के बीच, अथवा राज्यों के बीच परस्पर विवादों का निपटारा करता है। भारत में संसदीय लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के पास वास्तविक शक्तियाँ होती हैं तथा वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों को प्रदान करता है जो न्याययोग्य हैं। संविधान में 11 मौलिक कर्त्तव्यों को भी शामिल किया गया है। राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत से एक स्पष्ट कल्याणकारी राज्य का संकेत मिलता है।

पाठांत प्रश्न

1. संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है?
2. भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ एवं प्रासंगिकता बताइए?
3. भारतीय संविधान का दर्शन क्या है?
4. लिखित संविधान के महत्व को बताइए?
5. कठोर और लचीले संविधान के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए?
6. 'भारत एक संघीय राज्य' के बारे में संक्षेप में लिखिए।
7. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें

   (क) न्यायपालिका की स्वतंत्रता

   (ख) एकीकृत न्याय प्रणाली

   (ग) सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

5.1

1. (क) स 2. (ख) स 3. (ग) द

5.2

(क) सब धर्मों का सम्मान

(ख) राज्य की अर्थ व्यवस्था में प्रमुख भूमिका

(ग) 26 जनवरी, 1950

5.3

(क) जिसकी वह हकदार है।

(ख) विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

5.4

(क) आधारभूत कानूनों

(ख) 26 जनवरी, 1950

5.5

(क) अर्द्धसंघीय

(ख) मंत्रिमण्डल

(ग) न्याययोग्य

(घ) 42वें संशोधन

5.6

(क) दोहरी

(ख) एक व्यक्ति पूरे देश का नागरिक है।

(ग) 18 वर्ष

(घ) असाधारण समय

पाठांत प्रश्नों के संकेत

1. खण्ड 5.4 देखें
2. खण्ड 5.4. 5.5 देखें
3. खण्ड 5.4. 5.8 देखें

4. खण्ड 5.4. 5.9 देखें

5. खण्ड 5.4. 5.9 देखें

6. खण्ड 5.4. 5.9 देखें

7. (क) खण्ड 5.4. एवं 5.10 देखें

   (ख) खण्ड 5.10 देखें

   (ग) खण्ड 5.10 देखें